प्रेस विज्ञप्ति

26.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स संप्राश फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशक चंद नारायण कुचरू और उनके सहयोगी मैसर्स अनमोल रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की 50.37 करोड़ रुपए कीमत की 6 चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के प्लांट और मशीनरी, गैर-कृषि भूमि, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट के रूप में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुड़गांव और फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित हैं। ये संपत्तियां मैसर्स सम्प्राश फूड्स लिमिटेड, उसके निदेशक चंद नारायण कुचरू और इसकी संबंधित इकाई मैसर्स अनमोल रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेडके नाम पर पंजीकृत हैं।

ईडी ने मैसर्स संप्राश फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ ऋण राशि के दुरुपयोग और 31.03.2017 तक 60.88 करोड़ रुपए के भुगतान में चूक के संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, दिल्ली (एस) द्वारा दायर शिकायत के सापेक्ष आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि सीएन कुचरू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कंपनी के कर्मचारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के नाम पर विभिन्न फर्जी इकाइयां पंजीकृत की और बैंक खाते खोले थे। ऋण (सीसी) सीमा को बढ़ाने के लिए मैसर्स सम्प्राश फूड लिमिटेड के बढ़े हुए टर्नओवर की आड़ में इन संस्थाओं के माध्यम से कार्यशील पूंजी राशि की हेराफेरी की गई और धन शोधन किया गया और फिर उस अंतरित राशि का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए यह स्वीकृत किया गया था की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ और अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया ।

आगे की जांच जारी है।